IV 22/2011

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

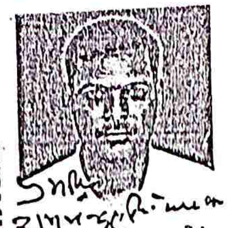

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 093282

श्री लक्षिराम जनसेवा ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 09–09–2011 को सैदपुर गाजीपुर मे रामचन्दर सिह यादव पुत्र श्री लक्षिराम सिह यादव ग्राम – सालिकपुर विकास खण्ड मनिहारी व तहसील सैदपुर जिला – गाजीपुर उ0 प्र0 द्वारा घोषित किया गया ।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपया 5000/–. (पांच हजार रुपये मात्र) की राशि है । जिसे की वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं । न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेते इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रुप से शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट **श्री लक्षिराम जनसेवा ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा ।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा । न्यासकर्ता /संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्त्रोतों से दान उपकार ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनो को और बढाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्दश्यो में प्रभावी रुप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/–रु0 पांच हजार रूपया) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान

क्रमशः 2

४०7 अर्जी ४४60
7-7-7 2011

रामचन्द्र सिंह यादव पुत्र लोछिराम सिंह यादव ग्राम सालिकपुर पो० गाजी
प० गाजीपुर

११ 2012

इस्टाम्प 5000

1001— 601— 1601— 2400

रामचन्द्र सिंह यादव लोछिराम सिंह यादव

खेती सालिकपुर सैदपुर

12/9/11 3 4 12/9/11

अशोक कुमार

रामचन्द्र सिंह यादव

रामचन्द्र सिंह यादव

(पैन कार्ड)

कन्हैया सिंह यादव

मारकण्डेय सिंह यादव खेती कटघरा

जिला गाजीपुर

सैदपुर

सैदपुर ने की 12/9/11

शिवपूजन सिंह यादव

रामचन्द्र सिंह यादव | कन्हैया सिंह यादव | शिवपूजन सिंह यादव

12/9/11

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 093283

की है । और क्योकि वर्तमान मे इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–सालिकपुर ,पोस्ट–सौरी विकास खण्ड मनिहारी व तहसील–सैदपुर,जिला–गाजीपुर रहेगा एवं प्रशासिनिक कार्यालय ग्राम–सालिकपुर ,पोस्ट–सौरी विकास खण्ड मनिहारी व तहसील–सैदपुर,जिला–गाजीपुर होगा अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर उस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

क्योकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यो के पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है ।

श्री लक्षिराम जनसेवा ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य – ट्रस्ट नियम उद्देश्यो पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

1– बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला,जूनियर हाईस्कूल,इण्टरमीडिएट कालेज,महाविद्यालय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालयो,वाचनालयो,प्रयोगशालाओ, चिकित्सालयो, अनाथालयों, वृद्धाआश्रमो, अनुसंधान केन्दो, छात्रोवासो, कम्प्यूटर केन्द्रो, सर्वेक्षण केन्द्र सामुदायिक विकास केन्द्रो,पर्यावरण,एड्स उत्थान केन्द्रो ी स्थापना करना,नामकरण विकास,सम्बद्ध आबद्ध,प्रबन्धन, संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदो विभागो,प्रतिष्ठानो संस्थाओ,स्थानो,शासन आदि से मान्य समद्ध,आबद्ध,पंजीकृत,अनुमोदित,स्वीकृत करा सकना ।

2 – ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना ।

क्रमशः ....3(1)

क्रमशः 2

[illegible] [illegible] ... [illegible] ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 093284

3 – खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओ का संचालन करना

4 – कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना

5 – उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना ।

6 – महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यकम संचालित करना ।

7 – प्रतियोगात्मक परीक्षाओ की तैयारी हेतु संस्थाओ की स्थापना करना ।

8 – कृषि संगीत संबन्धित आदि विषयो की शिक्षा तथा उाके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।

9 – केन्द्र सरकार के सभी विभागो मानव संसाधन समाज कल्याण नाबार्ड कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड महिला कल्याण नेहरू युवा केन्द्र खेलकुद युवा कल्याण ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागो के कार्यकम का संचालन करना ।

10 – आई0आई0टी0, आई0टी0आई, फार्मेसी, नर्स,ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथीरैपी, आदि मेडिकल कालेजो एवं इंजीनियरिंग कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना

11– समाज के लोगो के लिए हास्टिल नर्सिग होम स्वास्थ्य केन्द्र मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर किराना की दुकान,फोटोस्टेट,कम्पनी,फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना ।

12– पुस्तकालय,वाचनालय,पत्र/पत्रिकाओं, समाचार– पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण,बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।

13 – अन्धे गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा चिकित्सा, आवास, भेजन, इत्यादि की व्यवस्था करना ।

क्रमशः 4